



AFR

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
आपराधिक अपील क्रमांक 97/2006

फैसला सुरक्षित रखा गया— 15.04.2024
फैसला सुनाया गया – 23.04.2024

(स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश, दुर्ग, छत्तीसगढ़ द्वारा एनडीपीएस स्पेशल प्रकरण क्रमांक 06/2005 में निर्णय दिनांक 05.01.2006 से उत्पन्न)

सुल्तान अली, पुत्र असगर अली, उम्र लगभग 32 वर्ष, व्यवसाय कृषक, निवासी ग्राम मोहगांव, थाना साजा, जिला. दुर्ग.

-----अपीलार्थी

बनाम

छ०ग० शासन द्वारा, पुलिस थाना साजा, जिला दुर्ग

----- उत्तरवादी

अपीलार्थी के लिए : सुश्री पूजा लोनिया, अधिवक्ता।

उत्तरवादी/राज्य के लिए : श्री अफ़रोज़ खान, पैनल अधिवक्ता।

डिवीजन बेंच

माननीय श्री न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल

माननीय श्री न्यायमूर्ति संजय कुमार जायसवाल

सीएवी निर्णयसंजय कुमार जयसवाल, जे.

1. अपीलार्थी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) (जिसे आगे "सीआरपीसी" कहा जाएगा) के अंतर्गत यह आपराधिक अपील स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश, दुर्ग, छत्तीसगढ़ द्वारा एनडीपीएस स्पेशल प्रकरण क्रमांक 06/2005 में पारित दोषसिद्धि एवं सजा के आलोच्य निर्णय दिनांक 05.01.2006 के विरुद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 (जिसे आगे "एनडीपीएस अधिनियम" कहा जाएगा) की धारा 20(बी)(ii)(सी) के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है तथा



12 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1,00,000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा करने पर 3 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतने के आदेश पारित किया गया है।

2. अपीलार्थी के खिलाफ आरोप यह है कि वह दिनांक 06.02.2005 को लगभग 2:00 बजे दोपहर, अपने बागीचे ग्राम मोहगांव अंतर्गत पुलिस स्टेशन साजा में, बिना वैध लाइसेंस के, अवैध रूप से 181 किलोग्राम गांजा व्यापारिक मात्रा में रखे हुए था।

3. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 06.02.2005 को एस.के. दुबे (अ०सा०-13), प्रभारी थाना साजा, जिला दुर्ग को मुखबिर से सूचना मिली कि अपीलार्थी अपने बागीचे में भारी मात्रा में गांजा रखे हुए है। उक्त सूचना के आधार पर, रोजनामचा सान्हा प्रदर्श पी/ 9 ए पंजीबद्ध किया गया। दो गवाहों हरिश्चंद्र (अ०सा०-3) और किशन (अ०सा०-4) को आरक्षक सुरेश कुमार (अ०सा०-12) के माध्यम से बुलाया गया एवं मुखबिर पंचनामा प्रदर्श पी/4 तैयार किया गया। सूचना अनुविभागीय अधिकारी (पी) साजा, जिला दुर्ग को प्रदर्श पी/12 भेजी गई। तत्पश्चात, स्टाफ एवं गवाह ग्राम मोहगांव के लिए खाना हुआ, जहां अपीलार्थी मौजूद था और उसके बागीचे की तलाशी लेने के लिए सहमति प्राप्त करने के बाद सहमति पंचनामा प्रदर्श पी/13 तैयार किया गया। अपीलार्थी द्वारा पुलिस स्टाफ एवं स्वतंत्र गवाहों की तलाशी ली गई, जिसके लिए पुलिस तलाशी पंचनामा (प्र.पी/5) तैयार किया गया। तलाशी लेने पर एक गड्ढे में 6 बोखियों में तथा जमीन में गाड़े प्लास्टिक के पानी के टैंक में गांजा पाया गया, जिसकी पहचान के पश्चात मनः प्रभावी पदार्थ की पहचान का पंचनामा प्र.पी/6 तैयार किया गया। वजन का पंचनामा प्र.पी/3 के अनुसार तैयार किया गया। 50-50 ग्राम के सैंपल पैकेट तैयार कर सीलबंद किए गए तथा प्र.पी/7 जब्ती ज्ञापन तैयार



किया गया। देहाती नालिशी प्र.पी/14 दर्ज की गई। पुलिस थाना वापस आने के पश्चात रोजनामचा सान्हा प्र.पी/10 ए तैयार किया गया। जब्त सामग्री को माल गोदाम में जमा किया गया तथा जब्त माल रजिस्टर में प्रविष्टि प्र.पी/11 ए की गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी/16 दर्ज की गई। अपीलार्थी को प्र.पी/15 के अनुसार गिरफ्तार किया गया, जिसकी सूचना उसके परिजनों को प्र.पी/17 के अनुसार दी गई। सम्पूर्ण कार्यवाही की सूचना प्र.पी/8 ए के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी (पी) साजा, जिला दुर्ग को भेजी गई। जब्त पदार्थ को प्र.पी/18 के अनुसार रासायनिक परीक्षण हेतु राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर भेजा गया। एफएसएल रिपोर्ट (प्र.पी/19) के अनुसार जब्त पदार्थ गांजा पाया गया। सामान्य एवं विधिवत जांच के बाद अपीलार्थी के विरुद्ध एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20(बी)(ii)(सी) के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया।

4. अभियोजन पक्ष ने अपराध को साबित करने के लिए 15 गवाहों के बयान कराया तथा 21 दस्तावेज पेश किए। अपीलार्थी का बयान सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया, जिसमें उसने अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्य में उसके खिलाफ दिखाई देने वाली परिस्थितियों से इनकार किया, खुद को निर्दोष बताया और झूठा फंसाने की दलील दी। हालांकि, बचाव में ओर से न तो किसी गवाह का कथन कराया गया और न ही कोई दस्तावेज पेश किया गया।
5. विचारण न्यायालय द्वारा रिकॉर्ड पर मौजूद प्रत्यक्ष, मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार करने के बाद इस निर्णय के प्रथम कंडिका में लेख अनुसार अपीलार्थी को दोषी ठहराया और सजा सुनाई, जिसके विरुद्ध यह अपील की गई है, जिसमें कहा गया है कि अपीलार्थी के पास 181 किलोग्राम गांजा पाया गया था और एनडीपीएस अधिनियम में निहित प्रावधानों का पूरी तरह से और सचेत रूप से पालन किया गया था ।



6. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया कि स्वतंत्र गवाहों हरिश्चंद्र (अ०सा०-3) और किशन (अ०सा०-4) ने अपीलार्थी के कब्जे से कथित प्रतिबंधित सामग्री की जब्ती का समर्थन नहीं किया है। इसी प्रकार तौल पंचनामा गवाह राजेश साहू (अ०सा०-2) ने भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है। उन्होंने आगे तर्क किया कि शेष गवाह पुलिस अधिकारी या उनके सहायक कर्मचारी हैं। यह तर्क दिया गया है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि अपीलार्थी के बगीचे से जब्त की गई कथित प्रतिबंधित सामग्री अपीलार्थी के एकमात्र/सचेत कब्जे में थी। यह भी तर्क दिया गया है कि अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी के स्वामित्व या कब्जे के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। पटवारी सुरेश चंद्र यादव (अ०सा०-1) ने भी कथित बगीचे के खसरा नंबर या क्षेत्र के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है और अभियोजन पक्ष इस संबंध में कोई साक्ष्य रिकॉर्ड पर लाने में भी विफल रहा है। यह तर्क दिया गया है कि जांचकर्ता और उसके साथ आए कर्मचारियों के 5 गवाहों ने स्वीकार किया है कि घटनास्थल नदी के किनारे से सटा हुआ एक खुला स्थान था, जहाँ कोई भी व्यक्ति आ सकता है। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि कथित जब्ती अपीलार्थी के एकमात्र/सचेत कब्जे में थी। यह भी तर्क दिया गया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आलोक में ट्रायल कोर्ट का दोषसिद्धि का निष्कर्ष वैध और उचित नहीं है। इस प्रकार, अपीलार्थी संदेह के लाभ के आधार पर बरी होने का हकदार है और अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।
7. इसके विपरीत, विद्वान राज्य वकील द्वारा तर्क किया गया कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे अपराध को सामने लाने में सक्षम रहा है और ट्रायल कोर्ट ने अपीलार्थी को उपरोक्त अपराध के लिए सही रूप से दोषी ठहराया है। इस प्रकार, अपीलार्थी संदेह के लाभ के आधार पर बरी होने का हकदार नहीं है और अपील खारिज किए जाने योग्य है।



8. हमने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं उनके द्वारा ऊपर दिए गए प्रतिद्वंदी तर्कों पर विचार किया है तथा अभिलेखों का भी अत्यंत सावधानी से अध्ययन किया है ।
9. प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना थाना प्रभारी एस.के. दुबे (अ०सा०-13) एवं उनके साथ आए कांस्टेबल दारा सिंह कुर्रे (अ०सा०-5), कांस्टेबल पी.के. सिंह (अ०सा०-6), प्रकाश बरुआ (अ०सा०-9), कांस्टेबल सतीश कुमार साहू (अ०सा०-10) एवं कांस्टेबल सुरेश कुमार (अ०सा०-12) द्वारा किया जाना बताया गया है । पटवारी सुरेश चंद्र यादव (अ०सा०-1) ने प्रदर्श पी/1 के माध्यम से जब्ती स्थल का मौका नक्शा तैयार किया है ।
10. सम्पूर्ण कार्यवाही के स्वतंत्र गवाह हरिश्रंद्र (अ०सा०-3) एवं किशन (अ०सा०-4) दोनों ही पक्षद्रोही हो गए हैं और अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है । इसी प्रकार, तुलाई पंचनामा के गवाह राजेश साहू (अ०सा०-2) ने भी पंचनामा में तोलने की कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है । इस प्रकार, ऊपर वर्णित सभी तीनों स्वतंत्र गवाहों ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है ।
11. उपरोक्त परिस्थितियों में, प्राथमिक प्रश्न यह है कि क्या 181 किलोग्राम गांजा की कथित जब्ती अपीलार्थी के एकमात्र/सचेत कब्जे से की गई थी ?
12. पटवारी सुरेश चंद्र यादव (अ०सा०-1) ने प्रदर्श पी/1 के माध्यम से जब्ती स्थल का मौका नक्शा तैयार किया है तथा कथन किया है कि उक्त बाग के आसपास अन्य लोगों के भी खेत व बाग हैं, लेकिन पटवारी या पुलिस ने ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया है, जिससे यह स्थापित हो सके कि कथित जब्ती स्थल अपीलार्थी के एकमात्र/सचेत कब्जे में था ।
13. आसान संदर्भ के लिए स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 8 को देखना उचित होगा:



“8. कुछ संक्रियओं का प्रतिषेध- कोई व्यक्ति-

(क) किसी कोका पौधे की खेती नहीं करेगा या कोका पौधे के किसी भाग को इकट्ठा नहीं करेगा; या

(ख) अफीम पोस्त या किसी भांग के पौधे की खेती नहीं करेगा; या

(ग) किसी भी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ का उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, विक्रय, क्रय, परिवहन, भंडागारण, उपयोग, उपभोग, अंतर-राज्यीय आयात, अंतर-राज्यीय निर्यात, भारत में आयात, भारत से निर्यात या यानान्तरण

चिकित्सीय या वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए और इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियों या निकाले गए आदेशों के उपबंधों द्वारा उपबंधित रीति से और विस्तार तक ही और ऐसी किसी दशा में जहां ऐसे किसी उपबंध में अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या प्राधिकार के निबन्धों और शर्तों के अनुसार भी करेगा अन्यथा नहीं:

परन्तु इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, गांजा के उत्पादन के लिए कैनेबिस के पौधे की खेती या चिकित्सीय और वैज्ञानिक प्रयोजनों से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए गांजा के उत्पादन, कब्जे, उपयोग, उपभोग, क्रय, विक्रय परिवहन, भाण्डागारण, अन्तरराज्यिक आयात और अन्तरराज्यिक निर्यात के विरुद्ध प्रतिषेध केवल उस तारीख से प्रभावी होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें:



परन्तु यह और कि इस धारा की कोई बात आलंकारिक प्रयोजनों के लिए पोस्ततृण के निर्यात को लागू नहीं होगी ।

14. एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 में यह प्रावधान है कि जो कोई भी इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए किसी नियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करते हुए भांग रखता है, उसे उक्त प्रावधानों के अनुसार दंडित किया जाएगा। धारा 20(बी) में "कब्जा" शब्द का प्रयोग किया गया है ।

15. "कब्जा" शब्द में दो तत्व शामिल हैं। पहला, यह कॉर्पस या शारीरिक नियंत्रण को संदर्भित करता है और दूसरा, यह आशय को संदर्भित करता है जिसका संदर्भ उक्त नियंत्रण के प्रयोग से है । ब्लैक के लॉ डिक्शनरी में "कब्जा" की एक परिभाषा इस प्रकार दी गई है:

"कब्जा. – "किसी चीज़ पर नियंत्रण रखना और उस पर नियंत्रण रखने का आशय रखना। [ओसवालड बनाम वीगेल 219 Kan 616 : 549 P 2d 568 at p. 569 (1976)]. किसी के उपयोग और आनंद के लिए हिरासत और नियंत्रण, या किसी भी चीज़ की मैनुअल या आदर्श हिरासत, जो संपत्ति का विषय हो सकती है,, या तो मालिक के रूप में या उसमें योग्य अधिकार के स्वामी के रूप में, और या तो व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रखी जाती है जो किसी के स्थान और नाम पर इसका प्रयोग करता है । कब्जे की क्रिया या स्थिति। तथ्यों की वह स्थिति जिसके तहत कोई व्यक्ति किसी भौतिक चीज़ पर अपनी शक्ति का प्रयोग अपनी इच्छानुसार अन्य सभी व्यक्तियों को छोड़कर कर सकता है ।



कानून, सामान्य रूप से, दो प्रकार के कब्जे को मान्यता देता है: वास्तविक कब्जा और रचनात्मक कब्जा। एक व्यक्ति जो जानबूझकर किसी चीज़ पर प्रत्यक्ष भौतिक नियंत्रण रखता है, किसी निश्चित समय पर, उस पर वास्तविक कब्जा रखता है। एक व्यक्ति जो, हालांकि वास्तविक कब्जा नहीं रखता है, लेकिन जानबूझकर किसी चीज़ पर प्रभुत्व या नियंत्रण रखने की शक्ति और आशय रखता है, या तो सीधे या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के माध्यम से, उस पर रचनात्मक कब्जा रखता है। कानून यह भी मानता है कि कब्जा एकल या संयुक्त हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति के पास अकेले किसी चीज़ का वास्तविक या रचनात्मक कब्जा है, तो कब्जा एकल है। यदि दो या अधिक व्यक्ति किसी चीज़ का वास्तविक या रचनात्मक कब्जा साझा करते हैं, तो कब्जा संयुक्त है।

उक्त शब्दकोश में, मादक औषधि कानून के संदर्भ में "पास रखना" शब्द का अर्थ है:—

"मादक दवा कानूनों के तहत 'पास रखना' शब्द का अर्थ है दवा का वास्तविक नियंत्रण, देखभाल और प्रबंधन। [कोलिनी बनाम स्टेट 487 SW 2d 132 at p. 135 (Tex Cr App 1972)] प्रतिवादी नियंत्रित पदार्थ को 'पास रखता है' जब प्रतिवादी को पदार्थ की उपस्थिति के बारे में पता होता है, पदार्थ तुरंत उपलब्ध होता है, और प्रतिवादी पदार्थ पर 'प्रभुत्व या नियंत्रण' रखता है। [स्टेट बनाम हॉर्नडे 105 Wash 2d 120 : 713 P 2d 71 at p. 74 (Wash 1986)]."

और फिर:



आपराधिक कानून.-वितरण के आशय से नियंत्रित पदार्थों के कब्जे के अपराध के लिए दोषसिद्धि के लिए आवश्यक कब्जा रचनात्मक और वास्तविक दोनों हो सकता है, [यूनाइटेड स्टेट्स बनाम क्रेग 522 F 2d 29 at p. 31 (6th Cir 1975)]; साथ ही संयुक्त या एकमात्र, [गार्वे बनाम स्टेट 176 Ga App 268 : 335 SE 2d 640 at p. 647 (1985)]. प्रतिवादियों के पास प्रतिबंधित पदार्थ पर प्रभुत्व और नियंत्रण होना चाहिए, साथ ही उन्हें इसकी उपस्थिति और चरित्र का ज्ञान होना चाहिए। [यूनाइटेड स्टेट्स बनाम मोरांडो-अल्वारेज़ 520 F 2d 882 at p. 884 (9th Cir 1975)].

चोरी के माल के अपराध के एक तत्व के रूप में कब्जा, व्यक्ति पर या उसके बारे में वास्तविक मैनुअल नियंत्रण तक सीमित नहीं है, बल्कि किसी की शक्ति और प्रभुत्व के तहत चीजों तक फैला हुआ है। [मैककोनेल बनाम राज्य 48 Ala App 523 : 266 So 2d 328 at p. 333 (1972)].

चोरी के माल के कब्जे का आरोप लगाने वाले अभियोग में इस्तेमाल किए गए कब्जे का मतलब वास्तविक कब्जा या रचनात्मक कब्जा हो सकता है। [यूनाइटेड स्टेट्स बनाम एलिसन 469 F 2d 413 at p. 415 (9th Cir 1972)].

किसी अपराधी द्वारा छुपाने योग्य हथियार रखने पर प्रतिबन्ध लगाने वाले कानून के तहत छुपाने योग्य हथियार रखने के लिए यह पर्याप्त है कि प्रतिवादी के पास हथियार का रचनात्मक कब्जा हो और हथियार तक उसकी तत्काल पहुँच हो। [राज्य बनाम 12 Or App 496 : 507 P 2d 837 at p. 837 (1973) केली]।"



16. स्ट्राउड के शब्दकोष में, "कब्ज़ा" शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

"कब्ज़ा" [ड्रग्स (दुरुपयोग की रोकथाम) अधिनियम

1964 (सी. 64), एस.1 (1)]। कोई व्यक्ति किसी ऐसी वस्तु का "कब्ज़ा" नहीं खोता है जो खो गई हो या जिसके बारे में यह सोचा गया हो कि उसे नष्ट कर दिया गया है या उसका निपटान कर दिया गया है, यदि वह वास्तव में उसकी देखभाल और नियंत्रण में है [आर. बनाम बसवेल(1972) 1 WLR 64 : (1972) 1 All ER 75 (CA)]।"

17. सर्वोच्च न्यायालय ने मोहन लाल बनाम राजस्थान राज्य (2015) 6 SCC 222 के मामले में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 18 के संदर्भ में, जो अफीम पोस्त और अफीम के संबंध में उल्लंघन के लिए दंडनीय है, शब्द "कब्ज़ा" के अर्थ पर विचार किया और अपने

पहले के निर्णयों पर भरोसा करते हुए निम्नानुसार माना:—

"21. कानून की उपरोक्त व्याख्या से यह स्पष्ट है कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 18 के प्रयोजन के लिए "कब्ज़ा" शब्द का अर्थ छिपाने के परिणामस्वरूप प्रभुत्व और नियंत्रण के आशय के साथ शारीरिक कब्ज़ा, आशय के साथ निषिद्ध पदार्थ पर कब्ज़ा या प्रभुत्व या यहाँ तक कि उसका प्रयोग भी हो सकता है। मानसिक आशय जो कब्जे को दिखाने और स्थापित करने के लिए प्राथमिक और महत्वपूर्ण तत्व है। इसके अलावा, किसी विशेष स्थान या साइट पर "चैटल" यानी अवैध पदार्थ के अस्तित्व के बारे में व्यक्तिगत ज्ञान, प्रासंगिक समय पर और ज्ञान के आधार पर आशय, अद्वितीय संबंध और स्पष्ट कब्जे का गठन करेगा। ऐसी स्थिति में, कब्जे की उपस्थिति और अस्तित्व को उचित ठहराया जा सकता है, क्योंकि आशय



पदार्थ या चैटल पर अधिकार का प्रयोग करना और दूसरों को छोड़कर मालिक के रूप में कार्य करना है।

22. इस मामले में, हम मानते हैं कि अपीलार्थी के पास उस समय नियंत्रण की अपेक्षित डिग्री थी, भले ही उक्त मादक पदार्थ उस समय उसके शारीरिक नियंत्रण में न हो। एक उदाहरण देने के लिए, कोई व्यक्ति किसी संपत्ति में प्रतिबंधित मादक पदार्थ को छिपा सकता है और उसके बाद बाहर निकल सकता है। उक्त व्यक्ति आवश्यक द्वेष के कारण उक्त पदार्थ को अपने कब्जे में रखेगा, भले ही वह उस समय भौतिक नियंत्रण में न हो। जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर प्रतिबंधित मादक पदार्थ को छिपाता है तो स्थिति को अलग तरीके से नहीं देखा जा सकता है। दूसरी श्रेणी के मामलों में, व्यक्ति के पास इसलिए पदार्थ होगा क्योंकि उसके पास आवश्यक द्वेष है और वह नियंत्रण और प्रभुत्व बनाए रखने का आशय रखता है। जैसा कि तथ्यात्मक मैट्रिक्स से पता चलता है, अपीलार्थी-आरोपी के पास प्रतिबंधित या प्रतिबंधित पदार्थ था जो एनडीपीएस अधिनियम के लागू होने पर अपराध था। इसलिए, वह प्रतिबंधित पदार्थ को अपने कब्जे में रखता रहा और इस तरह एनडीपीएस अधिनियम की धारा 18 के तहत अपराध बनता है। कब्जे का अधिकार तब तक जारी रहेगा जब तक कि यह दिखाने के लिए कुछ न हो कि उससे पदार्थ छीन लिया गया है। इसके विपरीत, जैसा कि हम पाते हैं, उसने उस पदार्थ की खोज की जो उसके विशेष ज्ञान में था, और इसलिए, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि एनडीपीएस अधिनियम लागू होने पर उसके पास प्रतिबंधित वस्तु थी। स्थिति को स्पष्ट करने के लिए, हम एक उदाहरण दे सकते हैं। एक व्यक्ति ने एनडीपीएस अधिनियम लागू





होने से पहले अफीम के 100 बैग संग्रहीत किए थे और लागू होने के बाद, कब्जे वाली वस्तु की बरामदगी होती है। निश्चित रूप से, बरामदगी की तारीख पर, वह प्रतिबंधित वस्तु के कब्जे में था और कब्जा करना अपने आप में एक अपराध है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी-आरोपी यह दलील नहीं दे सकता कि उसने अफीम अधिनियम की धारा 9 के तहत अपराध किया है, न कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 18 के तहत।

18. मोहन लाल (उपरोक्त) में निर्धारित विधि के सिद्धांत का अनुसरण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा

भारत संघ द्वारा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लखनऊ बनाम मोहम्मद नवाज खान

(2021) 10 SCC 100] के मामले में किया गया है और निम्नानुसार अभिनिर्धारित

किया गया है:-

“26. धर्मपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य (2010) 9 SCC 608 में

“सचेत कब्जा” क्या है, विषय पर विचार किया गया था, जहाँ यह माना गया था कि प्रतिबंधित पदार्थ के कब्जे के ज्ञान को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से प्राप्त किया जाना चाहिए। कई व्यक्तियों वाले सार्वजनिक परिवहन वाहन के मामले में सचेत कब्जे का मानक कुछ व्यक्तियों वाले निजी वाहन के मामले में अलग होगा, जो एक दूसरे को जानते हैं। मोहन लाल बनाम राजस्थान राज्य (उपरोक्त) में, इस न्यायालय ने यह भी यह अभिनिर्धारित किया कि “कब्जा” शब्द का अर्थ आशय के साथ शारीरिक कब्जा; आशय के साथ प्रतिबंधित पदार्थों पर कब्जा; छिपाने के परिणामस्वरूप प्रभुत्व और नियंत्रण का प्रयोग; या प्रतिबंधित पदार्थ के अस्तित्व और इस ज्ञान के आधार पर आशय के बारे में व्यक्तिगत ज्ञान हो सकता है।”



19. उपरोक्त न्यायिक उदाहरणों में दिए गए सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, यदि हम मामले के तथ्यों की जांच करते हैं, तो इस संबंध में जो साक्ष्य प्रमुख रूप से सामने आए हैं, वे हैं कि पटवारी सुरेश चंद्र यादव (अ०सा०-1) ने स्वीकार किया है कि कथित जब्ती स्थल की सुरक्षा के लिए कोई चौकीदार नियुक्त नहीं था और इसके आसपास अन्य लोगों के खेत और बगीचे थे। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि खेत के पूर्वी किनारे पर सुरही नदी का किनारा है और उन्होंने कथित कब्जे के क्षेत्र को चिह्नित नहीं किया है। मौके के नक्शे में बगीचा नहीं है। उन्होंने मौके के नक्शे में नदी के सूखे और पानी से भरे हिस्से का भी उल्लेख नहीं किया है।

20. इसी तरह कांस्टेबल सतीश कुमार साहू (अ०सा०-10) ने स्वीकार किया है कि उक्त जब्ती स्थल एक खुला स्थान है, जहां कथित जब्त सामग्री लावारिस हालत में एक गड्ढे में पड़ी थी।

21. साथ में मौजूद स्टाफ कांस्टेबल सुरेश कुमार (अ०सा०-12) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि जिस स्थान पर कथित जब्ती की गई थी, वह एक खुला स्थान था, जहां कोई भी आ सकता था और बगीचे की रखवाली करने वाला कोई नहीं था। जमीन खाली पड़ी थी। उसके चारों ओर दूसरे लोगों की बाड़ थी। ग्रामीण बगीचे की खुली जगह का इस्तेमाल शौच के लिए करते थे। नदी का तल करीब 20-30 फीट सूखा स्थान है और ऐसा पुलिस थाना प्रभारी एस.के. दुबे (अ०सा०-13) ने बताया कि अपीलार्थी के बगीचे से गांजा बरामद किया गया था, हालांकि उन्हें व्यक्तिगत रूप से इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि कथित बरामदगी वाला बगीचा किसका है। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने थाने से पटवारी नक्शा नहीं लिया था।

22. बतौर जांचकर्ता, थाना प्रभारी एस.के. दुबे (अ०सा०-13) ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि पटवारी द्वारा दिए गए नक्शे में क्षेत्र का उल्लेख नहीं है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि बगीचा यानी कथित बरामदगी का स्थान एक खुली जमीन थी और



यह नदी के पानी के बहाव वाले स्थान से 20-25 कदम की दूरी पर है और जहां कोई भी आ सकता है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि उक्त बोरा खुला पड़ा था और स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, इसलिए उन्हें इसकी तलाशी लेने में ज्यादा समय नहीं लगा।

23. उपर्युक्त विवेचना के अनुसार थाना प्रभारी एस.के. दुबे (अ०सा०-13) एवं उनके साथ आए स्टाफ तथा पटवारी के कथन से स्पष्ट होता है कि जिस स्थान से कथित जब्ती बताई गई है, वह नदी का खुला स्थान है, जहां कोई भी व्यक्ति आ सकता है तथा कथित पदार्थ बोरे में ढीला पड़ा था।

24. यदि हम उपरोक्त न्यायिक उदाहरणों के आलोक में प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों को देखें, तो यह सिद्ध नहीं होता है कि कथित जब्ती स्थल अपीलार्थी के एकमात्र/सचेत कब्जे का स्थान था। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को गांजा के अवैध कब्जे के लिए दोषी मानना उचित नहीं होगा। तदनुसार, हमारा विचार है कि ऐसा कोई संकेत नहीं है कि 181 किया। गांजा अपीलार्थी के एकमात्र/सचेत कब्जे से बरामद किया गया था और अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि गांजा अपीलार्थी के कब्जे से बरामद किया गया था और इसलिए अपीलार्थी एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20(बी) (ii)(सी) के तहत अपराध से बरी होने का हकदार है।

25. परिणामस्वरूप, आपराधिक अपील स्वीकार की जाती है एवं स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश, दुर्ग, छत्तीसगढ़ द्वारा एनडीपीएस स्पेशल प्रकरण क्रमांक 06/2005 में निर्णय दिनांक 05.01.2006 द्वारा अपीलार्थी की दोषसिद्धि और सजा को रद्द किया जाता है। अपीलार्थी एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20(बी)(ii)(सी) के तहत दंडनीय आरोप से बरी हो गया है। यह बताया गया है कि अपीलार्थी जमानत पर है। उसे आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता



नहीं है। हालाँकि, उसकी जमानत सीआरपीसी की धारा 437-ए में निहित प्रावधान के मद्देनजर बांड छह महीने की अवधि के लिए लागू रहेंगे।

26. इस निर्णय की एक प्रति के साथ ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड तत्काल सूचना और आवश्यक अनुपालन के लिए वापस भेजा जाए।

हस्ताक्षर/-
(संजय के. अग्रवाल)
न्यायाधीश

हस्ताक्षर/-
(संजय के. अग्रवाल)
न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।